



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 06]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013-माघ 19, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णगोपाल लढा, उम्र 30 वर्ष, पिता श्री आशारामजी लढा, निवासी 10, दत्तात्रय नगर, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश), यह घोषणा करता हूँ कि मेरे नाम की English Spelling में पूर्व में त्रुटिवश KRISHAN सभी शासकीय अभिलेखों में लिखा गया था जबकि मेरे नाम की सही English Spelling KRISHNA GOPAL LADHA है. आज के पश्चात् से मुझे KRISHNA GOPAL LADHA से समझा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(KRISHAN GOPAL LADHA)

(292-बी.)

नया नाम :

(KRISHNA GOPAL LADHA)

10, दत्तात्रय नगर, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, सोनू वर्मा ने अपना नाम परिवर्तन कर अर्पित वर्मा कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(सोनू वर्मा)

(293-बी.)

नया नाम :

(अर्पित वर्मा)

26, राधास्वामी नगर,
चितावद रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, Manisha here by declare that after marriage I have change my name as Vinita Takhtani W/o Himanshu Takhtani so from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(MANISHA)

(294-B.)

New Name :

(VINITA TAKHTANI)
W/o Himanshu Takhtani,
Add-187, Palsikar Colony,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी बच्ची का नाम फातिमा पुत्री रूबीना नवाब (FATIMAH D/o RUBINA NAWAB) था. जिसमें हमने अपना उपनाम जोड़कर फातिमा नवाब पुत्री रूबीना नवाब (FATIMAH NAWAB D/o RUBINA NAWAB) कर लिया है, अब से हमारी बच्ची को उसके नए नाम फातिमा नवाब पुत्री रूबीना नवाब (FATIMAH NAWAB D/o RUBINA NAWAB) से लिखा, पढ़ा जावे.

रूबीना नवाब,
(RUBINA NAWAB)

(296-बी.)

जाहिर सूचना

यहकि, दिनांक 08 नवम्बर, 2011 को भागीदारी फर्म मै. पंचमणी एसोसिएट की स्थापना की गई थी. जिसका पंजीयन दिनांक 15 नवम्बर, 2011 को हुआ था. पंजीयन क्रमांक-04/17/01/00268/11 है. जिसमें निम्न भागीदार थे.—श्री नन्दकुमार देशरिया, श्री जितेन्द्र चौकसे, श्री संजीव पाटनी, श्री प्रकाश साहू एवं श्री राजू कोठारी थे. दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को संजीव पाटनी एवं राजू कोठारी स्वेच्छा से फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त कर रहे हैं.

जितेन्द्र चौकसे,
मैसर्स पंचमणी एसोसिएट्स
पार्टनर
चित्रकुट कॉम्प्लेक्स पुराना नागपुर,
नाका छिन्दवाड़ा (म. प्र.).

(290-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मै. सुरेश चंद्र जैन छपारा के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र.04/18/05/00014/05, सन् 2005-2006 दिनांक 02 मई, 2005 है. इस फर्म में दिनांक 02 सितम्बर, 2005 को श्री सुरेश चंद्र जैन पिता श्री सुमेर चंद्र जैन का देहांत हो चुका है. उक्त भागीदारी फर्म में इनकी भागीदारी समाप्त मानी जावेगी.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में अन्य तीन नये भागीदार शामिल हो रहे हैं. 1. श्रीमति सूरज जैन पति स्व. सुरेश चंद्र जैन, 2. श्रीमति रूपाली जैन पति संदीप जैन, 3. श्रीमती रेखा जैन पति सुदेश कुमार जैन सभी निवासी छपारा, जिला सिवनी के हैं.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 04 अक्टूबर, 2005 से संशोधन उपरांत तीन साझेदार शामिल हैं.

सर्व-साधारण को सूचना हेतु जारी दिनांक 30 दिसम्बर, 2012.

आवेदक,
शिशिर कुमार जैन,
मैसर्स सुरेश चन्द्र जैन,
पार्टनर
छपारा, जिला सिवनी (म. प्र.).

(291-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिपफर्म मैसर्स ब्लू लोटस डब्लपर्स पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00061/08, पंजीयन दिनांक 09 जुलाई, 2008 का कार्यालय रॉयल हॉस्पिटल बिल्डिंग, कम्पू रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश दिनांक 07 जनवरी, 2013 से परिवर्तित होकर एफ-30, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लशकर, ग्वालियर हो गया है. फर्म का कार्यालय दिनांक 07 जनवरी, 2013 से एफ-30, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लशकर, ग्वालियर में संचालित है. अतः सर्व-साधारण सूचित हो.

इति दिनांक 17-1-2013.

पुरुषोत्तम जाजू,
(भागीदार)
मैसर्स ब्लू लोटस डब्लपर्स,
एफ-30, संजय कॉम्प्लेक्स,
जयेन्द्रगंज, लशकर, ग्वालियर .

(295-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम सिब्लेन वोरा था, अब जिसे मैंने नाम परिवर्तन कर उसका नाम मुर्तजा सैफी कर लिया है. अतः भविष्य में इसे मुर्तजा सैफी के नाम से जाना व पहचाना जाये.

(297-बी.)

फजल अब्बास सैफी,
पता- म.नं. 50, अलीगंज जुमेराती,
पोस्ट ऑफिस के पास, भोपाल (मध्यप्रदेश).

उपनाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम अतुल बाबू धानुक था जो बदलकर अतुल बाबू राज हो गया है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(अतुल बाबू धानुक)

(298-बी.)

नया नाम :
(अतुल बाबू राज)
पता—मकान नं. 5, पूजा श्रीनगर कॉलोनी के पास,
सी.टी.ओ., बैरागढ़, भोपाल-462030.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम प्रियंका स्वर्णकार पुत्री श्री प्रदीप कुमार स्वर्णकार था. दिनांक 21 जुलाई, 2007 को श्री मनीष सोनी पुत्र श्री रमेश बाबू सोनी के साथ विवाह उपरान्त प्रियंका सोनी पत्नी श्री मनीष सोनी हो गया है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाएगा.

पुराना नाम :
(प्रियंका स्वर्णकार)
पुत्री श्री प्रदीप कुमार स्वर्णकार

(299-बी.)

नया नाम :
(प्रियंका सोनी)
पत्नी श्री मनीष सोनी,
दुर्गा कॉलोनी, मुरार ग्वालियर.

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं****कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़**

टीकमगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

क्र./251/ब.लि./5-ए/1/2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अनुक्रम में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमंक-चार की कंडिका 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2013 में टीकमगढ़ जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं:—

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व (त्यौहार)
1.	14 जनवरी, 2013	सोमवार	मकर संक्रांति
2.	28 मार्च, 2013	गुरुवार	होली का दूसरा दिवस
3.	05 नवम्बर, 2013	मंगलवार	भाईदोज (दीपावली)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे. यह आदेश निगोसिएवल इन्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत लागू नहीं होगा.

(56)

रघुराज राजेन्द्रन,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डोरी

डिण्डोरी, दिनांक 01 जनवरी, 2013

क्र. /एस.सी./2013/02.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मदन कुमार, कलेक्टर, डिण्डोरी, मध्यप्रदेश वर्ष 2013 में डिण्डोरी जिले के लिये निम्नलिखित तिथियों को पूरे दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	14 जनवरी, 2013	सोमवार	मकर संक्रांति
2.	28 मार्च, 2013	गुरुवार	होली का दूसरा दिन (परिवा)
3.	04 नवम्बर, 2013	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

यह अवकाश कोषालय/उप-कोषालय पर लागू नहीं होगा.

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

(57)

जगसाय राम,
डिप्टी कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया

दतिया, दिनांक 17 जनवरी, 2013

क्र.-क्यू/सी.ब्रा./9-21/8/2012-13.—मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रमांक 4 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2/1999/1/4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 में निहित प्रावधानान्तर्गत एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, दतिया कैलेण्डर वर्ष 2013 में निम्नानुसार दतिया जिले के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक.	दिनांक	दिन	त्यौहार का नाम
1.	28 मार्च, 2013	गुरुवार	पडवा (होली का दूसरा दिन)
2.	09 सितम्बर, 2013	सोमवार	गणेश चतुर्थी
3.	04 अक्टूबर, 2013	शुक्रवार	सर्व पितृमोक्ष अमावस्या

जी. पी. कबीरपंथी,
कलेक्टर.

(59)

न्यायालय कलेक्टर, जिला छतरपुर

प्र.क्र./01/बी-91/2004-05.

जिला छतरपुर की तहसील नौगांव विकासखण्ड नौगांव के अंतर्गत ग्राम सरसेड़ पटवारी हल्का नं. 03 राजस्व निरीक्षक मण्डल नौगांव के मजरा हरपालपुर को पृथक् राजस्व ग्राम का विभक्तिकरण.

(दिनांक 03 जनवरी, 2013 को पारित एवं उद्घोषित)

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा हरपालपुर भ्रमण दिनांक 24 मई, 2003 को हरपालपुर को उप तहसील घोषित करने की घोषणा की गई थी, विषयांकित घोषणा के अनुक्रम में प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट छतरपुर द्वारा पत्र क्र. 1776/भू-अभि./स.अ.भू.अ.-2/03, दिनांक 08 सितम्बर, 2003 से तहसीलदार नौगांव को मजरा हरपालपुर को नया राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया.

2. अधीक्षक भू-अभिलेख एवं भू-प्रबंधन छतरपुर ने अपने जांच प्रतिवेदन क्र. 226/भू.प्र./स.अ.भू.अ./08, दिनांक 18 जुलाई, 2008 के अनुसार पटवारी हल्का नं. 03 सरसेड़ एवं हरपालपुर दोनों राजस्व ग्राम निर्मांकित अनुसार विभक्तिकरण के लिए उपयुक्त प्रतिवेदित किए हैं:—

विभक्तिकरण हेतु ग्रामों की भौगोलिक स्थिति

पटवारी हल्का	प्रस्तावित ग्राम एवं मजरे का नाम	शामिल जोत का रकबा है. में	अलावा जोत का रकबा है.में	आवादी रकबा रकवा है. में	कुल रकबा है.में
1	2	3	4	5	6
03 रा.नि.मं. नौगांव	ग्राम सरसेड़	1163.95	932.66	22.60	2119.21
	ग्राम हरपालपुर	227.51	80.53	23.87	331.91
		1391.46	1013.19	46.47	2451.12

3. उपरोक्तानुसार राजस्व ग्रामों को विभाजित करने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं 30 दिवसीय सार्वजनिक इशतहार जारी किया गया. नियत दिनांक 31 जनवरी, 2009 को कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुईं.

4. कार्यालयीन पत्र क्र. 409/री.कले./2008, दिनांक 29 दिसम्बर, 2008 से सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल को विभक्तिकरण के कारण ग्राम सरसेड़ एवं हरपालपुर का पृथक्-पृथक् अधिकार अभिलेख एवं नक्शा, खसरा, निस्तार पत्रक, बी-1, रीनम्बरिंग सूची पुनरीक्षित करने हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-107, 108 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अधिसूचना जारी करने तथा अधीक्षक भू-अभिलेख (भू-प्रबंधन) को प्राधिकृत करने का आदेश जारी करने हेतु जारी किया गया एवं आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा भी अपने पत्र क्र. 240/11/भू.प्र./न.वि./2011, दिनांक 03 फरवरी, 2012 से भी लेख किया गया.

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक 1528/189/2012/सात/शा-6, भोपाल दिनांक 07 सितम्बर, 2012 से ग्राम सरसेड़ के विभक्तिकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश प्रदत्त किये गये.

अतः अधीक्षक भू-अभिलेख (भू-प्रबंधन) छतरपुर के प्रतिवेदन दिनांक 18 जुलाई, 2008 एवं नियत अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त न होने को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-73 के अन्तर्गत उपरोक्त कंडिका 2 के अनुसार ग्राम सरसेड़ से हरपालपुर को पृथक् कर ग्राम हरपालपुर एवं सरसेड़ पृथक्-पृथक् राजस्व ग्राम घोषित किए जाते हैं. तदनुसार शासकीय भू-अभिलेख संशोधित करने के उपरान्त घोषित राजस्व ग्रामों के विभाजन हेतु खसरा नम्बरवार स्पष्ट जानकारी तहसीलदार नौगांव को पालन प्रतिवेदन स्वरूप इस न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करें.

राजेश बहुगुणा,
कलेक्टर.

(58)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/2012-13.

दिनांक 3 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1991 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक शैलेन्द्र सिंह पिता दूधेश्वरसिंह, निवासी वार्ड नंबर 02, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा एवं अन्य तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (कार्यकारी प्रबंधक सिद्धिदात्री माँ दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा) द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सिद्धिदात्री माँ दुर्गा मंदिर ट्रस्ट, परासिया, तहसील परासिया के ट्रस्ट जिसकी सम्पत्ति अनुसूची में दर्शायी गई है, के पंजीकरण हेतु प्रार्थना की है. इस सूचना के जरिए यह सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन के संबंध में मेरे न्यायालय द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2013 को विचार किया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति में हित रखता है अथवा कोई आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति एवं सुझाव लिखितरूप में दी प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और नियत दिनांक को इस न्यायालय के समक्ष स्वतः या अभिभाषक अथवा अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त हुई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम : श्री सिद्धिदात्री माँ दुर्गा मन्दिर ट्रस्ट, वार्ड-02, डोंगर चिखली, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : श्री सिद्धिदात्री माँ दुर्गा मन्दिर ट्रस्ट, वार्ड नम्बर-02, पिपरिया रोड, डोंगर चिखली, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा.

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टर)
115	0.858

3. चल सम्पत्ति का विवरण : निरंक.

दिनांक 3 जनवरी, 2013 को न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

मीना मसराम,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(52)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर) रतलाम

क्र. 04/बी-113/(1)/2012-13

रतलाम, दिनांक 14 जनवरी, 2013

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 (2) के तहत]

क्र. 04/आर-5/13.—आवेदक श्री कामेश्वर पटेल पिता श्री अनंत लाल पटेल आदि, निवासी गांधीनगर, रतलाम, न्यास प्रबंधक/व्यवस्थापक “वल्लभ फाउंडेशन, 229 एम. जी. भवन, गांधीनगर, रतलाम, मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत” “वल्लभ फाउंडेशन” रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 4 फरवरी, 2013 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 4 फरवरी, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम : “वल्लभ फाउंडेशन” ट्रस्ट, 229 एम. जी. भवन, गांधीनगर, रतलाम.
अचल सम्पत्ति : निरंक.
चल सम्पत्ति : रुपये 11,100/- की राशि समर्पित है.

रानी बाटड़,
रजिस्ट्रार.

(53)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला सतना

प्रारूप क्र.-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना जिला के समक्ष.

यतः कि डॉ. अमरजीत सिंह पुत्री गौरीशंकर सिंह, निवासी कामता चित्रकूट, सतना, मध्यप्रदेश एवं हरीशंकर सिंह पुत्र जगमोहन प्रसाद सिंह निवासी कर्वी चित्रकूट, उत्तरप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयक किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 18 फरवरी, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम व पता : सोशल इंजीनियरिंग एण्ड वेलफेयर एक्शन (सेवा) ट्रस्ट, कामता पो. आ. पीलीकोटी, चित्रकूट, सतना.
2. अचल सम्पत्ति : निरंक
3. चल सम्पत्ति : 1,33,181.00 रुपये ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार.

प्रारूप-5

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, सतना के समक्ष.

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उप-धारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिए मैं, आर. के. बागरी, जिला सतना लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 18 फरवरी, 2013 को 30 दिवस पर कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास का संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः या प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

(54)

आर. के. बागरी,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“बाबा गुरुमुखदास चेरिटेबल ट्रस्ट” कार्यालय 304, डायमण्ड अपार्टमेन्ट, राजमहल कॉलोनी, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री चन्दुमल नागदेव, निवासी 68, गोपाल बाग, इन्दौर इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“बाबा गुरुमुखदास चेरिटेबल ट्रस्ट”.
पता :	304, डायमण्ड अपार्टमेन्ट, राजमहल कॉलोनी, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 4 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(55)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“चौरसिया समाज पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय 13, तम्बोली बाखल, मल्हारगंज, इन्दौर की ओर से आवेदक श्री हेमचन्द पिता बिन्दाप्रसाद चौरसिया, निवासी 4/1, जूना तुकोगंज, इन्दौर एवं अन्य-2 न्यासीगण इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“चौरसिया समाज पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता :	13, तम्बोली बाखल, मल्हारगंज, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र).

आज दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(55- A)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“स्वर्गीय श्री आर. बी. कलम पारमार्थिक ट्रस्ट” कार्यालय 2071/डी, सुदामा नगर, इन्दौर की ओर से आवेदिका सुश्री भूमिका कलम निवासी 2071/डी, सुदामा नगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“स्वर्गीय श्री आर. बी. कलम पारमार्थिक ट्रस्ट”.
पता :	2071/डी, सुदामा नगर, इन्दौर.
अचल सम्पत्ति :	निरंक है.
चल सम्पत्ति :	रुपये 5,500/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार पाँच सौ मात्र).

आज दिनांक 5 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(55- B)

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, सांवेर, जिला इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री गणेश एवं हनुमान मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक जन कल्याण न्यास” प्रधान कार्यालय सार्वजनिक श्री गणेश एवं हनुमान मंदिर ग्राम भंवरासला, पोस्ट भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम :	“ श्री गणेश एवं हनुमान मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक जन कल्याण न्यास ”.
पता :	प्रधान कार्यालय सार्वजनिक श्री गणेश एवं हनुमान मंदिर ग्राम भंवरासला, पोस्ट भंवरासला, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति :	निरंक.
चल सम्पत्ति :	निरंक.
आज दिनांक 1 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.	

बी. बी. एस. तोमर,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(72)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1563.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2009/878, होशंगाबाद, दिनांक 11 जून, 2009 के द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालहनवाड़ा, जिला होशंगाबाद जिसका पंजीयन क्रमांक 2357, दिनांक 23 सितम्बर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. पी. दीवान, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहा. आयुक्त, (अंकेक्षण) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. अनिल कुमार, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1/सी, दिनांक 26 जलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के तहत तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., मालहनवाड़ा, जिला होशंगाबाद का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनिल कुमार,

उप-पंजीयक.

(60)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

राजगढ़, दिनांक 6 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2154.—सर्व-साधारण एवं सदस्यों की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक/परि./2010/38, राजगढ़, दिनांक 13 जनवरी, 2010 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक व दिनांक दर्शाया गया है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा धारा-70 (1) के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम सहकारी संस्थाएं	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	26/3-2-1956	38/13-1-2010
2.	आदर्श परिवहन सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	8003/20-1-1959	38/13-1-2010
3.	विश्वकर्मा शिल्पकार सहकारी संस्था मर्या., माचलपुर	18/4-11-1963	38/13-1-2010
4.	आदर्श कबूलर्स सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	146/4-8-1966	38/13-1-2010
5.	सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	157/5-4-1989	38/13-1-2010
6.	शिक्षक आवास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	61/5-2-1974	38/13-1-2010
7.	कर्मचारी वेतनभोगी साख सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर	1/22-10-1959	38/13-1-2010

अतः मैं, आर. व्ही. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत सर्व-साधारण एवं संस्था सदस्यों की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो लेना-देना निकल रहा हो, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वरूप प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ में प्रस्तुत करें. उक्त अविधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वरूप के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी, उपलब्ध रिकॉर्ड (ऑडिट नोट) के अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं का पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों/पदाधिकारियों के पास इन समितियों के संबंध में कोई लेखापुस्तकें, रिकॉर्ड एवं अन्य सामान हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी.

आज दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(61)

आर. व्ही. गुप्ता,
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडावद, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/परि./2012/825, दिनांक 30 जुलाई, 2012 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेडावद, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक 291, दिनांक 3 सितम्बर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी

सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

अतः मैं, एस. के. चौहान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयवाधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है। संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एस. के. चौहान,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(62)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2433, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा श्रमिक बांस उद्योग संस्था, भटनावर सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री अनिल श्रीवास्तव के स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(63)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2438, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा महिला बहुउद्देशीय संस्था, गुरिच्छा सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री अनिल श्रीवास्तव के स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(63-A)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2434, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा महात्मा फुले प्राथमिक ईंधन सहकारी संस्था, बैराड सहकारी संस्था का परिसमापक श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था। यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री अनिल श्रीवास्तव के स्थान पर श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(63-B)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2454, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्राथमिक बुनकर सहकारी संस्था, कोली मोहल्ला, कोलारस सहकारी संस्था का परिसमापक श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री विजय जैन के स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(63-C)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2453, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा बुनकर सहकारी संस्था, कोलारस सहकारी संस्था का परिसमापक श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री विजय जैन के स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(63-D)

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पूर्व आदेश क्रमांक/परि./2450, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा खनिज उद्योग संस्था, दीगौध सहकारी संस्था का परिसमापक श्री विजय जैन, सहकारी निरीक्षक, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, शिवपुरी को नियुक्त किया गया था. यह कि कार्यालयीन कार्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए श्री विजय जैन के स्थान पर श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(63-E)

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष, प्रभारी अधिकारी,

सर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता—श्री एस. प्रिंस, बी-9, ई-8, एक्सटेंशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.

क्र./परि./2012/4107.—सर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./541, दिनांक 31 अप्रैल, 1990 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा दिनांक 7 जून, 2011 को

पत्र प्रेषित कर, निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं.
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है.
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे. इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रति उत्तर साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 को कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें.

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा, कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(64)

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मातमोर जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./ 311, दिनांक 28 दिसम्बर, 1976 है, तहसील बागली, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्र. 1580, दिनांक 13 जून, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 30 अगस्त, 2012 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं. सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मातमोर, तहसील बागली, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे.

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

(65)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बाईजगवाड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./978, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 है, तहसील कन्नौद, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्र. 129, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 21 सितम्बर, 2012 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बाईजगवाड़ा, तहसील कन्नौद, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(65-A)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, रीछी जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./ 935, दिनांक 29 मार्च, 2001 है, तहसील खातेगांव जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्र. 126, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 26 सितम्बर, 2012 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रीछी, तहसील खातेगांव, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(65-B)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुन्देल जिसका पंजीयन क्रमांक/स.प.दे./977, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 है, तहसील कन्नौद, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक को संशोधित आदेश क्र. 128, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 20 सितम्बर, 2012 आयोजित कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि संस्था के सदस्यों के आर्थिक उन्नति के हित में संस्था को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। सहकारिता के विस्तार की दृष्टि से संस्था को पुनर्जीवित करना उचित है तथा परिसमापक के प्रस्ताव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व बना रहना उचित है एवं उसे पुनर्जीवित करना उचित है।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, ज्ञापन क्रमांक/ एफ-5-1-99/पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा-3 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुन्देल, तहसील कन्नौद, जिला देवास को परिसमापन में लाने हेतु जारी किये गये आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के तहत पुनर्जीवित करता हूँ तथा निर्देश देता हूँ कि तीन माह में संस्था अपना निर्वाचन पूर्ण करावे।

यह आदेश आज दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(65-C)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति,

जय भैरूबाबा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, निमलाय, तह. सतवास.

पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 04-10-2008.

1. श्री गंगाविसेन	अध्यक्ष
2. श्रीमती बबीता पति संजय	उपाध्यक्ष
3. श्री सीताराम शिवराम	संचालक
4. श्रीमती नर्मदा बाई	संचालक
5. श्री कमलसिंह धुरिया	संचालक
6. श्रीमती किसान बाई पति रमेश	संचालक
7. श्री जगराम रामसिंह	संचालक
8. श्रीमती उमाबाई	संचालक
9. श्रीमती कस्तुरीबाई	संचालक

द्वारा—सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, देवास.

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04 वर्षों से कार्यशील होकर आपके संस्था के 49 सदस्यों में से 44 सदस्य अक्रियाशील पाये गये हैं. चूंकि शेष 05 सदस्यों से संस्था की प्रबंधकारिणी समिति का भी गठन नहीं हो सकता.

मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल के पत्र क्रमांक 2677/तक-2/128/12-13, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 की कंडिका क्रमांक 02 के अनुसार समिति के 10 प्रतिशत से कम सदस्य ही क्रियाशील होने से उक्त समिति को परिसमापन में क्यों न लाया जाय.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रेकॉर्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था के लगभग 95 प्रतिशत सदस्य अक्रियाशील होकर संस्था की स्वीकृत उपविधि के उद्देश्यों के अनुरूप अपने सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं. अतः यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 24 जनवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस संबंध में अपना प्रति उत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त संबंध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के संबंध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 26 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2129.—गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 456, दिनांक 31 मार्च, 1989 है, के प्रभारी अधिकारी श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी अधिकारी, गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर के प्राप्त आवेदन के आधार पर तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री आर. एस. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(66)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

उमरिया, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि/2012/ Q .— कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, उमरिया के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. एवं दिनांक	परिसमापन में आने का दिनांक
1.	माँ शारदा महिला सिलाई उद्योग सह. समि. मर्या., उमरिया	72/06-08-2007	23/12/2011
2.	महावीर बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानपुर	62/21-06-2007	14/02/2012
3.	प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., वार्ड नं. 6, उमरिया	960/11-06-1999	17/08/2011
4.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमडारी	75/23-08-2007	06/09/2012
5.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., उमरिया	04/04-12-1999	06/09/2012
6.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अमडी	35/21-04-2003	06/09/2012
7.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हरवाह	51/25-02-2004	06/09/2012
8.	अम्बे महिला उद्योग सहकारी समिति मर्या., मानपुर	64/26-08-2007	06/09/2012
9.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अमदरी	70/03-08-2007	12/09/2012
10.	कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चंदिया	59/17-03-2005	12/09/2012

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी भी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था की समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(33)

एम. के. निगम,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र/परि/2012/ Q.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, शहडोल जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	न्यायिक साख सहकारी समिति मर्यादित., शहडोल	824/23-12-1989	820/10-12-2012
2.	बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., शहडोल	407/30-03-1964	821/12-12-2012
3.	विराट गृह निर्माण सह. समिति मर्या., शहडोल	644/02-02-1981	825/10-12-2012
4.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., गोरतरा	665/30-03-1994	826/10-12-2012
5.	मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., सिंहपुर	502/17-02-1962	828/10-12-2012
6.	लक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., धनपुरी	1003/13-12-2000	833/10-12-2012

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तिका में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था की लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

ए. एल. गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(34)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, बैतूल

बैतूल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र/परि/2012/1539.— कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बैतूल जिला बैतूल, के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/09/688, दिनांक 06 जुलाई, 2009 के द्वारा मुझे निम्नानुसार सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	गुरुगोविंद सिंह मत्स्य सह. समिति मर्या., आमाडोह	1468/26-04-2003	1162/28-11-2011
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरेरा	1460/12-02-2002	1162/28-11-2011
3.	एकता प्राथमिक उपभोक्ता सह. भण्डार मर्या., बैतूल	1510/26-07-2005	1162/28-11-2011
4.	श्रीराम बारदाना क्रय-विक्रय सह. संस्था मर्या., बैतूल	1558/26-06-2007	1162/28-11-2011
5.	सतपुड़ा कामगार सह. संस्था मर्या., बैतूल	1012/06-08-1982	1162/28-11-2011
6.	जैयवंती हक्सर महा. वि. सह. भण्डार मर्या., बैतूल	918/26-06-1976	1162/28-11-2011
7.	श्रीबालाजी एलपीजी गैस ईंधन आपूर्ति सह. संस्था मर्या., बैतूल.	1556/04-06-2007	1162/28-11-2011
8.	अजाक्स साख सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1451/31-10-2001	1162/28-11-2011
9.	सुन्दर मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1323/25-07-1994	1162/28-11-2011
10.	जय अम्बे बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बैतूल	1420/31-03-2000	1162/28-11-2011

उपरोक्त सहकारी संस्थाओं से मुझे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड अथवा दस्तावेज तथा डेड-स्टाक आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) को उपयोग में लाते हुए मैं, बसंत मगरदे, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी समितियां, बैतूल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अंदर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

बसंत मगरदे,

(35) परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्रमांक परि./2012-13/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं इन्दौर, जिला इन्दौर के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति संशोधित आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	492/03-02-1988	3425/08-08-2012	1826/06-05-2004
2.	इन्दौर बर्तन बाजार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	733/23-03-1998	3425/08-08-2012	144/08-01-2001
3.	ई. डब्ल्यू. एस. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	803/20-03-2001	3425/08-08-2012	1813/26-07-2007
4.	श्री प्रियंका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर.	971/16-05-2004	3425/08-08-2012	1807/26-07-2007
5.	इन्दौर वायर कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	396/20-05-1972	4425/30-10-2012	5511/31-12-1996
6.	लोक सेवा सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	585/13-05-1981	4425/30-10-2012	5512/31-12-1996
7.	इन्दौर नागरिक सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	325/06-01-1951	4425/30-10-2012	988/06-03-2000
8.	परस्पर मित्र मण्डल सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	1077/10-10-1977	4425/30-10-2012	360/17-07-2003
9.	सर्वजन सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	1147/04-08-1992	4425/30-10-2012	2992/15-07-2003
10.	आल्वारिया क्रेडिट को-आपरेटिव्ह संस्था मर्या., महु.	1871/06-01-1998	4425/30-10-2012	2334/16-04-2004
11.	भण्डारी कामगार सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर.	915/05-01-1950	4425/30-10-2012	4317/27-08-1997

अतः मैं, आर. एस. ग्रेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि उक्त संस्थाओं

के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के सम्बन्ध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(36)

आर. एस. गेरेठिया,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 02 अप्रैल, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम 57(सी) अन्तर्गत]

क्रमांक परि./1.— मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। समितियां निम्न प्रकार हैं:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बंधीकला	1172/16-07-2008	366/16-03-2012
2.	दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हतना	1147/06-06-2008	365/16-03-2012
3.	खजुराहो मेडिकल एण्ड इण्डस्ट्रियल सहकारी समिति मर्या., छतरपुर.	1089/08-03-2006	370/16-03-2012

अतः मैं, एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम 1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयवधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयवधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयवधि पश्चात प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा. तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 अप्रैल, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी की गई.

(37)

एम. के. रावत,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी सामु. कृषि, पर्वतपुरा	178/12-06-1970	1575/29-08-2002

1	2	3	4
2.	देवश्री फल, साग-सब्जी, मुरम्या	959/11-07-2001	1466/31-05-2012
3.	बीज उत्पा. सह. संस्था, बिजवाड	53/20-03-1979	51/03-01-2011
4.	हरिजन सामु. कृषि, शुक्रवासा-1	204/25-03-1971	2261/03-12-2011
5.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था, नेवरी	478/05-04-1982	872/20-04-2010
6.	तिलहन उत्पा. सह. संस्था., संवरसी	436/18-06-1982	49/03-01-2011
7.	आदर्श सिंधी गृह निर्माण, देवास	126/26-03-1956	474/10-03-2011
8.	महाजन गृह निर्माण सह. सं., देवास	—	475/10-03-2011
9.	महात्मागांधी गृह निर्माण, देवास	—	1140/19-09-2010
10.	—	—	883/20-04-2010

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी सम्बंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तिय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

धर्मेन्द्र मालवीय,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(38)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 06]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2013-माघ 19, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अनूपपुर, पुष्परजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, शाजापुर, देवास, खरगौन व राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, मंदसौर, राजगढ़, विदिशा, नरसिंहपुर व सीधी, सीहोर, देवास, बैतूल, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला धार, भोपाल में फसल सोयाबीन व होशंगाबाद, सिवनी, कटनी, बालाघाट में धान व बुरहानपुर में सोयाबीन, ज्वार व बैतूल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली व झाबुआ में मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द की कटाई एवं बैतूल, झाबुआ में मूँगफली की तुड़ाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2012

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..					
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..					
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..					
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) उड़द, तिल, मूँगफली, ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..					
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..					

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, गन्ना अधिक. मक्का, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, तिल, मूँगफली समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, तिल कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) गेहूँ, चना, जौ, राई, सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. शाहगढ़	..				
11. मालथोन	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा ..					
2. बटियागढ़ ..					
3. दमोह ..					
4. पथरिया ..					
5. जवेरा ..					
6. तेन्दूखेड़ा ..					
7. पटेरा ..					
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना कम. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर ..					
2. मझगवां ..					
3. रामपुर-बघेलान ..					
4. नागौद ..					
5. उचेहरा ..					
6. अमरपाटन ..					
7. रामनगर ..					
8. मैहर ..					
9. बिरसिहपुर ..					
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान कम. ज्वार, कोदों, मक्का, उड़द, मूँग, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर ..					
2. सिरमौर ..					
3. मरुगंज ..					
4. हनुमना ..					
5. हजूर ..					
6. गुढ़ ..					
7. शयफुकचुलियान ..					
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, तिल, कोदों-कुटकी कम. मक्का, धान, अरहर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर ..					
2. ब्यौहारी ..					
3. जैसिंहनगर ..					
4. जैतपुर ..					
5. बुढान ..					
6. गोहपारू ..					
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. उड़द, राहर, कोदों, तिल, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी ..					
2. अनूपपुर 1.2					
3. कोतमा ..					
4. पुष्पराजगढ़ 0.3					
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, उड़द, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ ..					
2. पाली ..					
3. मानपुर ..					

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी.	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, उड़द कम. तिल, मूँगफली समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. सीतामऊ	..				
7. धुन्डका	..				
8. शामगढ़	..				
9. संजीत	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
*जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसल समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, अरहर, मूँगफली, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान, उड़द की कटाई एवं मूँगफली की फसल तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कपास, तुअर, चना, गेहूँ, अधिक. ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाडा 4. सोण्डवा 5. भामरा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
*जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) गन्ना, मूँगफली, अधिक. कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना कम. मक्का, ज्वार, मूँगफली, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) मक्का, तुअर, गन्ना, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी बोनी व धान, मक्का, सोयाबीन की कटाई एवं मूँगफली की तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, ज्वार अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. चिचोली	..				
3. शाहपुर	..				
4. घोड़ाडोगरी	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. गन्ना, मूँगमोट, उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई एवं खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों, राहर, तिली, उड़द समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर : 1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेन्दूखेड़ा	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला मण्डला : 1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला डिण्डोरी : 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छिन्दवाड़ा : 1. छिन्दवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. जामई (तामिया) 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादौन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसौर	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी की बोनी व खरीफ की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, बाजरा, उड़द, मूँगमोठ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर	मिलीमीटर	2. धान फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— *जिला गुना, सिंगरौली, रतलाम, इन्दौर, बड़वानी, पूर्व निमाड़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.